न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 99/2022

1. दलीप कुमार पुत्र श्री रूपराम, उम्र 37 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी महियांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. रघुवीर पुत्र श्री रूपराम, उम्र 46 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी महियांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. भीमसेन पुत्र श्री रूपराम, जाति कुम्हार, निवासी महियांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. तहसीलदार (राजस्व), पीलबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये शाखा प्रबन्धक ।

–अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजीव आहुजा —— प्रार्थीगण
2. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा —— अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा। ——अप्रार्थी संख्या 3

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 21-07-25

अधिवक्ता प्रार्थी श्री संजीव आहुजा द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त शीर्षक का वाद–पत्र प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जो प्रथम दृष्टया डिक्री होने योग्य है।

यह कि वादपत्र की नोईयत को समझने के लिए सजरा खानदान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री रूपराम की चक 2 बी. एल.डब्ल्यू. बी तहसील पीलीबंगा के पत्थर नंबर 26/ 232 (3). पत्थर नंबर 26/234 (15) व पत्थर नंबर 26/235 (16) कुल 3.858 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता कृषि भूमि खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज थी।

यह कि प्रार्थीगण के पिता श्री रूपराम के फौत होने के बाद उनकी उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 क[illegible] औद हुई तथा प्रत्येक वारिस को 1/4 हिस्सा अर्थात् प्रत्येक 0.9645 हैक[illegible] प्राप्त हुई। राजस्व अभिलेख में उक्त वर्णित भूमि स्व० श्री रूपराम के समस्त वारिसान के [illegible] इंतकाल दर्ज हुई। स्व० श्री रूपराम ने अपने जी[illegible] उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 को मुताबिक घरू व्यवस्था बहिस्सा बराबर 1/[illegible] हिस्सा के अनुसार बांटक[illegible] थी। बंटवारा के दिवस से ही प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 मुताबिक बंटवारा का[illegible]। मुताबिक बंटवारा प्रार्थीगण को उक्त वर्णित भूमि में से पत्थर नंबर 26/234 (15) किला नंबर 16/1 से 25/2 कुल 2.530 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता प्राप्त हुई जो बंटवारा के दिवस से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। इस घरू बंटवारा के संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:59:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व उनकी माता की प्रारम्भ से सहमति रही है तथा उसने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अपना हिस्सा मौखिक रूप से त्याग दिया था।

यह कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण की माता ने अपने 1/4 हिस्सा के संबंध में एक दस्तावेज त्याग पत्र दिनांक 23.07.2019 (पंजीकृत दिनांक 01.08.2019) को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया है। इस दस्तावेज के अन्तर्गत प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की माता सोनादेवी ने उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने 1/4 हिस्सा को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में तर्क किये जाने का परिवर्णन अंकित किया है जबकि विधि अनुसार कथित त्याग पत्र के अन्तर्गत श्रीमति सोनादेवी द्वारा तर्क किया गया हिस्सा किसी विशेष सहखातेदार के पक्ष में तर्क होना नहीं माना जा सकता बल्कि कानूनन कथित त्याग पत्र के प्रभाव से उसके द्वारा तर्क किया गया हिस्सा शेष सभी सहखातेदारों के पक्ष में नीहित होता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की माता सोनादेवी द्वारा अपने हक व हिस्सा की कुल 0.9645 हैक्टेयर भूमि तर्क करने के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की माता सोनादेवी के 0.9645 हैक्टेयर भूमि में से बहिस्सा बराबर प्रत्येक को 0.3215 हैक्टेयर भूमि ओर प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 प्रत्येक उक्त वर्णित भूमि में अब 0,9645 है0 + 0.3215 है0 कुल 1.286 हैक्टेयर भूमि के खातेदार हो चुके है लेकिन कथित दस्तावेज हक त्याग दिनांक 23.07.2019 (पंजीकृत दिनांक 01.08.2019) के आधार पर चक 2 बी.एल.डब्ल्यू. ष्बीष में इन्तकाल संख्या 336 दर्ज व तस्दीक करवाकर अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व अभिलेख में कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से उक्त खाता में 1/2 हिस्सा अर्थात् 1. 929 हैक्टेयर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है। उक्त इन्तकाल कतई गलत व विधि विरूद्ध है। कथित दस्तावेज त्याग पत्र दिनांक 23.07.2019 (पंजीकृत दिनांक 01.08.2019) के आधार पर केवल अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा नहीं बढा है बल्कि प्रार्थीगण का हिस्सा भी बढ़ा है। अप्रार्थी संख्या 1 कथित कतई गलत व विधि विरूद्ध दर्ज हुये इन्तकाल की प्रविष्टि का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण के वैद्य हक व हिस्सा से इन्कार कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की माता सोनादेवी द्वारा चक 2 बी.एल.डब्ल्यू. ष्बीष के खाता संख्या 73/62 की कुल 3.858 हैक्टेयर भूमि में से अपने तर्क किये गये 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.9645 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार है व घोषणा अनुसार वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा कम किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावें । यह कि अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व अभिलेख में कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से दर्ज हुये इन्तकाल का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन, बैय व मुन्तकिल करने के लिये कटिबद्ध है तथा राजस्व अभिलेख में अपने हक व हिस्सा से अधिक भूमि दर्ज होने का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने की धमकी प्रार्थीगण को दे रहा है। वर्तमान में प्रार्थीगण ने अपने कब्जा काश्त की उक्त वर्णित पत्थर नंबर 26/234 (15) किला नंबर 16/1 से 25/2 कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि फसल सावणी काश्त हेतु तैयार [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 अपने अवैध व अनुचित कृत्य में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अ[illegible] होगी। इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की [illegible] के अधिकारी व दावेदार है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादप[illegible] वर्णित भूमि में स्वयं के नाम दर्ज भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व मुन्तकिल [illegible]ने व प्रार्थीगण के आधिपत्य व धारण की पत्थर नंबर 26/234 (15) किला नंबर 16/1 से 25/2 कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि में हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:59:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

यह कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। प्रार्थीगण वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित घरू बंटवारा अनुसार खाता विभाजन करवा पाने के अधिकारी है। यदि माननीय न्यायालय ऐसा अनुतोष प्रदत्त करना विधिसम्मत ना माने तो प्रार्थीगण मुताबिक घोषणा अपने घोषित हिस्सा का अच्छी–मंदी एवं रास्ता खाला की सुविधा सहित खाता विभाजन करवा पाने के अधिकारी है।

यह कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित चक 2 बी.एल.डब्ल्यू. "बी" तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 58/73 के पत्थर नंबर 26/232 (3), पत्थर नंबर 26/234 (15) व पत्थर नंबर 26/235 (16) कुल 3.858 हैक्टेयर में स्वयं के नाम दर्ज भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व मुन्तकिल करने व प्रार्थीगण के आधिपत्य व धारण की 2 बी.एल.डब्ल्यू. "बी" के पत्थर नंबर 26/234 (15) किला नंबर 16/1 से 25/2 कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि में हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.04.2022 को जारी की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जवाब प्रार्थना पत्र जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की और निम्न प्रकार से है

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। वर्तमान में मिन अप्रार्थी के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन मनगढ़त, मिथ्या होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी की माता ने ऐसा कथन कभी नही किया है। माता मिन अप्रार्थी के साथ निवास कर रही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन हक त्याग होने की हद तक स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी की माता सोना देवी के द्वारा अपने हक व हिस्सा को अपनी सहमति से जरिये दान हक त्याग बिना प्रतिफल के मिन अप्रार्थी के पक्ष में किया है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। मिन अप्रार्थी की माता प्रार्थीगण को अपने हक व हिस्सा में से कोई भी भूमि प्रार्थीगण को नही देना चाहती थी। मिन अप्रार्थी की माता सोना देवी को प्राप्त हिस्सा उसके स्वंय अर्जित भूमि बराबर है। वह अपनी भूमि किसी भी व्यक्ति को जरिये दान हक त्याग कर सकती है। जो विधि विरूद्ध नही है। मिन अप्रार्थी की माता के द्वारा नियमानुसार जरिये दान हक त्याग उप [illegible] 23.07.19 को मिन अप्रार्थी के पक्ष में करवाया है। जो विधि अनुसार सही व [illegible] है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में व[illegible] अस्वीकार है। प्रार्थीगण को कोई किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है ना ही उनके किसी भी हित को नुकसान हो रहा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:59:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित कथन मिथ्या व अविधिक होने से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 में वर्णित कथन मिथ्या व अविधिक होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को कोई किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है ना ही उनके किसी भी हित को नुकसान हो रहा है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में सरकार जवाब प्राप्त हो चुका है शामिल पत्रावली है। बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एआईआर 1973, सिविल अपील संख्या 258/1974 , आरआरटी 2014–1–509 रेवेन्यु बोर्ड ऑफ राजस्थान, डीएनजे 2021 पेज संख्या 1373 प्रस्तुत किये गए एवं बहस में कथन किया कि पैतृक भूमि है। माता ने 1/4 की दस्तवरदारी व एक के पक्ष में हक त्याग किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला कंर्फम हो। प्रश्नगत करबा का इन्तकाल नाम दर्ज हो चुका है प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2003 पेज न. 209 से 211 व आरआरटी 2022–2023 पेज न. 287 से 292 आरआरटी 2012 पेज संख्या 636, आरआरटी 2023 पेज न. 415, आरआरटी 2022 पेज न. 414 प्रस्तुत कर बहस में कथन किया दस्तवरदारी का इन्तकाल मेरे नाम दर्ज हो गया है वाद पत्र 2022 में लाये है माता ने देहान्त के बाद दस्तवरदारी है। वाद पत्र बार्ड बाय लॉ है दस्तवरदारी सिविल कोर्ट में खिारिज है। स्वअर्जित सम्पति है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जावे। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस उभय पक्ष पर भलीभाति मनन किया गया। पत्रावली व पेशा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेश जारी किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है और बिना विभाजन के उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी निर्बाध रूप से रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोश में भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है इसलिए अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न [illegible]

Signature Not Verified

यह आदेशा आज दिनांक 2[illegible]25 को [illegible] सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:59:21 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड [illegible]
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा